Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

अक्तूबर 2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- टाटा पावर का राजस्थान में बड़ा निवेश 3
- उदयपुर में आदमखोर तेंदुए का शिकार 4
- रूप कंवर मामला: भारत की अंतिम सती घटना पर पुनर्विचार 5
- राजस्थान का भूमि एकत्रीकरण कानून 5
- राजस्थान में कांगो बुखार का प्रकोप 6
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिये IVF की सफलता 6

नोट :

राजस्थान

टाटा पावर का राजस्थान में बड़ा निवेश

चर्चा में क्यों ?

टाटा पावर ने हाल ही में राजस्थान को एक **विश्वसनीय, स्वच्छ और किफायती ऊर्जा** स्रोत के रूप में विकसित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है।

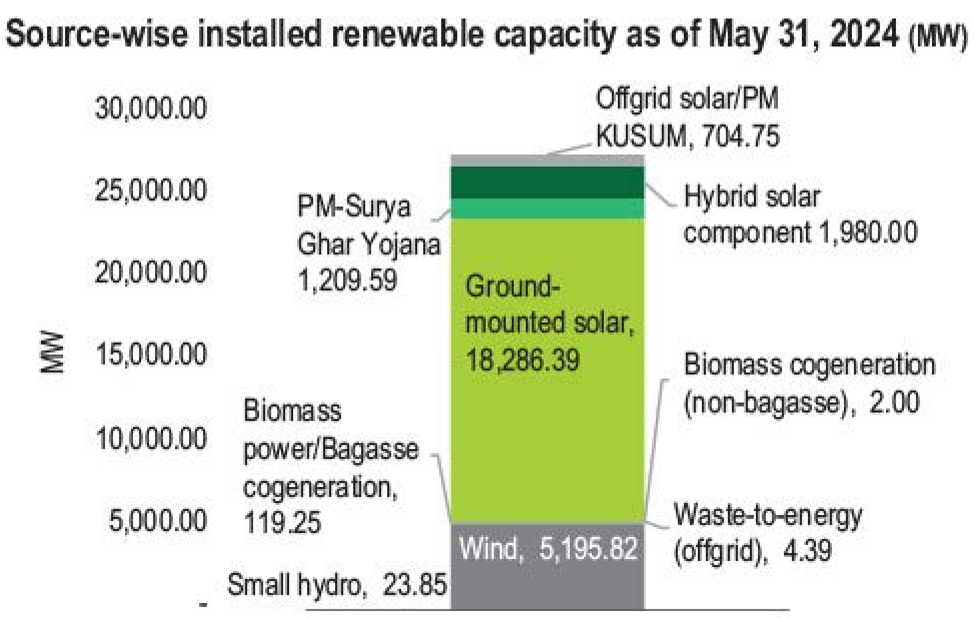

Source: Ministry of New and Renewable Energy

With around 22 GW, solar power accounts for 82.8 per cent of Rajasthan's total renewable energy capacity. In fact, Rajasthan has the highest solar capacity amongst the states. Further, it ranks fifth amongst the states in terms of total installed wind power capacity.

मुख्य बिंदु

- **निवेश प्रतिबद्धता: टाटा पावर** अगले **10 वर्षों में** राजस्थान के विद्युत क्षेत्र में **1.2 ट्रिलियन रुपए (14.3 बिलियन डॉलर) का** निवेश करेगी ।
- **नवीकरणीय ऊर्जा** परियोजनाओं के लिये **75,000 करोड़ रुपए** आवंटित किये जाएंगे ।
- ऊर्जा हानि को कम करने तथा विद्युत गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये पारेषण एवं वितरण के आधुनिकीकरण में **20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।**
- **10,000 करोड़ रुपए** की राशि से **परमाणु ऊर्जा संयंत्रों** के विकास के लिये नए अवसरों की खोज की जाएगी।

नोट :

- राज्य भर में **1 लाख EV चार्जिंग पॉइंट** स्थापित करने में **1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।**
- इस योजना में **प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना** के तहत **10 लाख घरों** के लिये **छत पर सौर ऊर्जा** स्थापित करना शामिल है।
- इस निवेश से राजस्थान में **28,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोज़गार** सृजित होने की आशा है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना

- **परिचय:** यह पर्याप्त वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके और स्थापना में आसानी सुनिश्चित करके **रूफटॉप सोलर सिस्टम** को अपनाने को बढ़ावा देने के लिये एक केंद्रीय योजना है।
- **उद्देश्य:** इसका लक्ष्य भारत में एक करोड़ परिवारों को मुफ्त विद्युत उपलब्ध कराना है, जो छत पर सौर विद्युत इकाइयाँ स्थापित करना चाहते हैं।
- **कार्यान्वयन एजेंसियाँ:** योजना का क्रियान्वयन **दो स्तरों पर किया जाएगा** ।
- **राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA)** द्वारा प्रबंधित।
- **राज्य स्तर: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIA)** द्वारा प्रबंधित, जो संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की वितरण उपयोगिताएँ (डिस्कॉम) या विद्युत/ऊर्जा विभाग हैं।
- **डिस्कॉम (DISCOM) की भूमिका:** SIA के रूप में, **डिस्कॉम छत पर सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न उपायों को सुविधाजनक बनाने के लिये ज़िम्मेदार हैं, जिसमें नेट मीटर** की उपलब्धता सुनिश्चित करना और समय पर निरीक्षण करना और प्रतिष्ठानों को चालू करना शामिल है।

उदयपुर में आदमखोर तेंदुए का शिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उदयपुर ज़िले** में अधिकारी कई मौतों के लिये ज़िम्मेदार एक **तेंदुए** की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

- उदयपुर ज़िले में एक तेंदुए ने सात लोगों को मार डाला है, वन विभाग, पुलिस और **भारतीय सेना** की खोज टीम जानवर को पकड़ने या मारने की कोशिश कर रही हैं।
- विभिन्न स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं और स्थानीय ग्रामीण इस प्रयास में सहायता कर रहे हैं।
- हाल ही में 55 वर्षीय महिला पर हुए घातक हमले के बाद **मुख्य वन्यजीव वार्डन** ने जानवर को गोली मारने का आदेश दिया तथा **गोगुंदा** और **आसपास के क्षेत्रों** में उसकी तलाश जारी **है।**

मुख्य वन्यजीव वार्डन

- **प्राधिकरण: मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wild Life Warden- CLWL) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** के तहत वैधानिक प्राधिकरण है जो राज्य वन विभाग के वन्यजीव विंग की देखरेख के लिये ज़िम्मेदार है।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** CWLW राज्य के **संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas- PA)** पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, तथा वन्यजीव संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।
- **संरक्षित क्षेत्रों की संरचना:** प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र (PA) को आम तौर पर एक वन्यजीव प्रभाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसकी प्रशासनिक ज़िम्मेदारियों का नेतृत्व **उप वन संरक्षक (Deputy Conservator of Forests- DCF)** करता है।

रूप कंवर मामला: भारत की अंतिम सती घटना पर पुनर्विचार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूप कंवर की मृत्यु के 37 वर्ष बाद, जयपुर की एक न्यायालय ने **सती प्रथा** को महिमामंडित करने के आरोपी आठ व्यक्तियों को अपर्याप्त साक्ष्यों का हवाला देते हुए बरी कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- **रूप कंवर की सती घटना (वर्ष 1987):**
  - राजस्थान के दिवराला की 18 वर्षीया महिला रूप कंवर ने **4 सितंबर 1987** को अपने पति की चिता पर बैठकर कथित तौर पर सती हो गयी थी।
  - बताया जाता है कि हज़ारों लोगों ने उन्हें कार्यक्रम के दौरान **सोलह शृंगार** करते और **गायत्री मंत्र** का जाप करते देखा।
- **सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987):**
  - रूप कंवर की घटना के बाद लागू इस कानून का उद्देश्य सती प्रथा और उसके महिमामंडन को रोकना है।
- **महत्त्वपूर्ण प्रावधान:**
  - **धारा 3:** सती होने के प्रयास के लिये दंड, जिसमें आजीवन कारावास भी शामिल है।
  - **धारा 5:** सती प्रथा का महिमामंडन करने पर 7 वर्ष तक का कारावास और 30,000 रुपए का जुर्माना।
  - सती के महिमामंडन में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना, स्मारक बनाना, या सती हुई महिला के सम्मान को बढ़ावा देना शामिल है।

सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987

- यह अधिनियम महिलाओं के खिलाफ सती प्रथा पर रोक लगाता है।
- "सती" का अर्थ है जीवित जलाने या दफनाने की क्रिया:
  - किसी विधवा को उसके मृत पति या किसी अन्य संबंधी के शव के साथ या पति या ऐसे संबंधी से संबद्ध किसी वस्तु, या सामान के साथ; या
  - किसी भी महिला को उसके किसी रिश्तेदार के शव के साथ, भले ही ऐसा जलाना या दफनाना विधवा अथवा महिला या अन्यथा की ओर से स्वैच्छिक होने का दावा किया गया हो।

राजस्थान का भूमि एकत्रीकरण कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, राजस्थान ने उद्योगों की सहायता करने और किसानों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से भूमि एकत्रीकरण कानून लागू करने वाला भारत का **पहला राज्य** बनने की अपनी योजना की घोषणा की है ।

प्रमुख बिंदु

- **भूमि एकत्रीकरण विधेयक:** राजस्थान विधानसभा में एक विधेयक पेश करने जा रहा है, जो भूमि एकत्रीकरण के लिये एक कानूनी तंत्र स्थापित करेगा। इस कानून से उद्योगों को सुविधा मिलने और किसानों को मदद मिलने की संभावना है।
- **वैश्विक निवेश पर फोकस:** यह घोषणा **दिसंबर 2024 में होने वाले 'राइज़िंग राजस्थान' वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन से पहले की गई है**।
  - राज्य सरकार पहले ही मुंबई और दिल्ली में रोड शो के दौरान **12.50 लाख करोड़ रुपए से** अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर चुकी है।

नोट :

- **नीति विवरण:** प्रस्तावित कानून का उद्देश्य इच्छुक मालिकों से निजी भूमि एकत्र करना, उसका **विकास करना और विकसित भूमि का 25% मूल मालिकों** को वापस करना है। इस मुआवज़े का उपयोग भूमि मालिक निजी उपयोग के लिये या बेहतर रिटर्न के लिये पट्टे पर देने या बेचने के लिये कर सकते हैं।
- **विकास में किसानों की भागीदारी:** यह नीति सुनिश्चित करती है कि किसान विकास में भागीदार बनें, विकसित भूमि और शेष भूमि के बढ़े हुए मूल्य दोनों से लाभान्वित हों, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो।
- **भूमि उपयोग और समय-सीमा:** निजी भूमि का उपयोग **औद्योगिक पार्कों**, **सार्वजनिक अवसंरचना और संबंधित विकास** के लिये किया जाएगा। एकत्रित भूमि का उपयोग पाँच वर्षों के भीतर किया जाना चाहिये, अन्यथा यह **भूमि एकत्रीकरण प्राधिकरण** को वापस कर दी जाएगी।
- **भूमि एकत्रीकरण प्राधिकरण:** भूमि के एकत्रीकरण और विकास का प्रबंधन करने के लिये एक नया "भूमि एकत्रीकरण और विकास प्राधिकरण" बनाया जाएगा। शिकायतों का कुशलतापूर्वक समाधान करने और न्यायालयी कार्यवाही से बचने के लिये एक अपीलीय प्राधिकरण भी बनाया जाएगा।
- **क्षेत्रीय लाभ: गुजरात की सीमा से लगे आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा तथा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे और एक्सप्रेसवे** जैसे क्षेत्रों को इस कानून से काफी लाभ मिलने की संभावना है।

राजस्थान में कांगो बुखार का प्रकोप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान में **कांगो बुखार** का मामला सामने आया है, जिसके कारण जोधपुर में 51 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई।

राज्य सरकार ने बीमारी को और फैलने से रोकने के लिये दिशानिर्देश जारी किये हैं और स्वास्थ्य टीमें सक्रिय रूप से लक्षण वाले व्यक्तियों का पता लगा रही हैं।

प्रमुख बिंदु

- **कांगो बुखार:** कांगो बुखार, जिसे **क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार (CCHF)** के रूप में भी जाना जाता है , एक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से **टिक काटने या संक्रमित जानवरों के संपर्क** के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है।
  - यह संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक द्रव्यों के सीधे संपर्क से भी फैल सकता है।
- **लक्षण:** इसकी शुरुआत अचानक होती है और इसमें तेज़ बुखार, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, गर्दन में दर्द और फोटोफोबिया शामिल हैं।
  - गंभीर मामलों में रक्तस्राव, यकृत विफलता और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है।
- **सरकारी प्रतिक्रिया:** राज्य ने अस्पतालों को सतर्कता बढ़ाने, संभावित मामलों को अलग करने और रोग के बारे में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिये IVF की सफलता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)** को बचाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया, क्योंकि **इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF)** के माध्यम से एक चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ, जो इस प्रजाति के संरक्षण प्रयासों में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

प्रमुख बिंदु

- **संरक्षण में IVF सफलता:**
- **IVF** के माध्यम से **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड** के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ, जो इस प्रजाति के लिये पहली बार हुआ, जिससे इस **गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी** को बचाने के उद्देश्य से चल रहे संरक्षण प्रयासों को काफी बढ़ावा मिला।

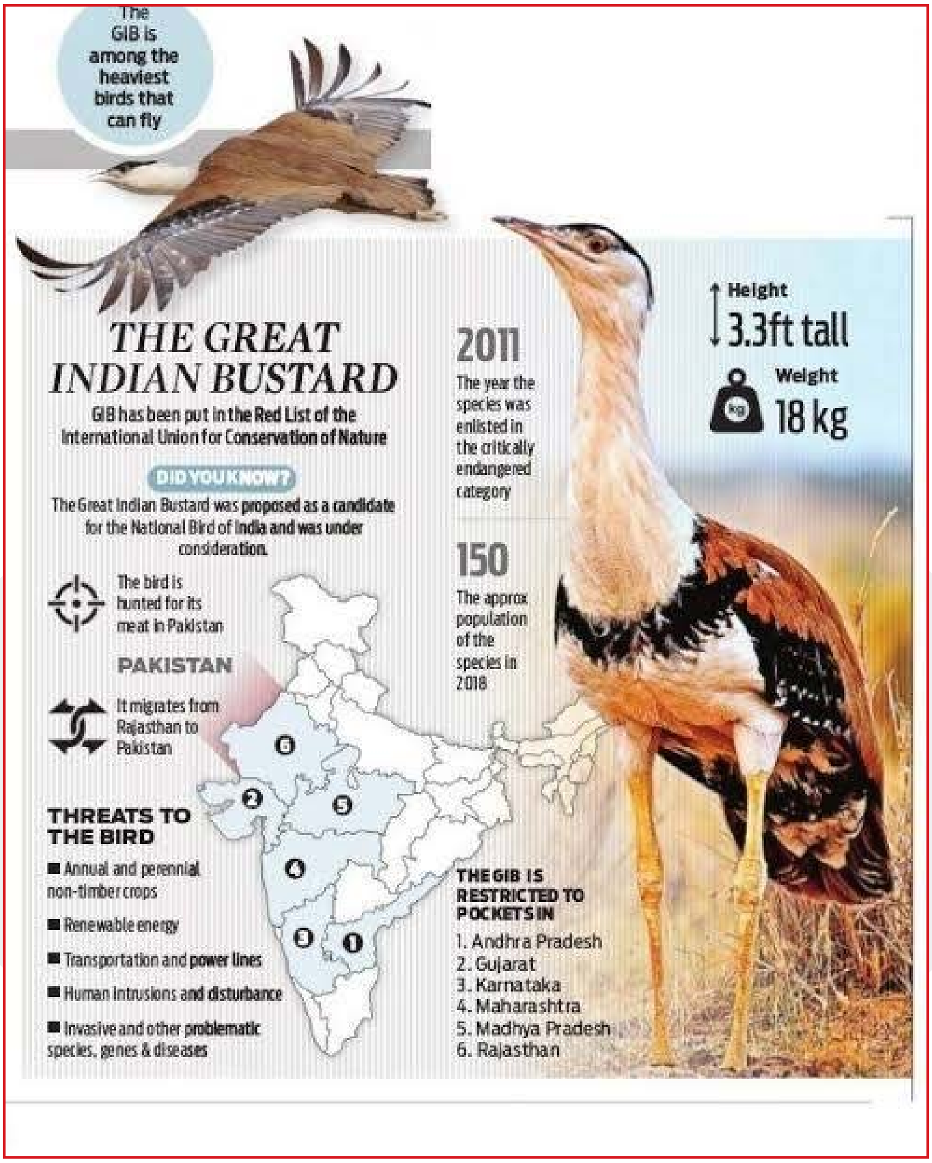

- यह सफलता ऐसे समय में मिली है जब इस प्रजाति की जनसंख्या में अत्यधिक गिरावट आ रही है, जिसका मुख्य कारण **आवास का नष्ट होना और विद्युत् लाइनों से टकराव है।**
- इस चूजे का जन्म राजस्थान के **मरू राष्ट्रीय उद्यान** में **प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम** के तहत हुआ , जो कि GIBs की अंतिम बची हुई जंगली आबादी का आवास है।
- **इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF):**
- यह एक व्यापक रूप से प्रयुक्त **सहायक प्रजनन तकनीक (ART)** है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक गर्भाधान के कठिन या असंभव होने पर गर्भधारण को सुगम बनाना है।
- इसमें प्रयोगशाला में शरीर के बाहर अंडे को निषेचित करने के लिए कई चरण शामिल हैं, इससे पहले कि भ्रूण को मादा के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाए। इस प्रक्रिया को अब वन्यजीव संरक्षण में लागू किया जा रहा है, जैसे कि हाल ही में **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड** के मामले में।

नोट :

- **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:**
- **आवास स्थान:** राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों के घास के मैदान।
- **संरक्षण स्थिति: अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट** में **"गंभीर रूप से संकटग्रस्त"** के रूप में सूचीबद्ध।

मरु राष्ट्रीय उद्यान

- यह राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर ज़िलों में भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित है।
- इस उद्यान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का राज्य पशु (चिंकारा), राज्य वृक्ष (खेजड़ी) और राज्य पुष्प (रोहिड़ा) प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं।
- इसे **वर्ष 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** तथा वर्ष 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।

कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य

- कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य भारत के गुजरात के कच्छ ज़िले में नलिया के पास स्थित है।
- यह देश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जो केवल दो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लाला-परिजन (Lala-Parijan) अभ्यारण्य के नाम से भी मशहूर इस अभ्यारण्य की घोषणा जुलाई 1992 में मुख्य रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिये की गई थी।
- यह अभयारण्य बस्टर्ड की तीन प्रजातियों का घर है: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और मैकक्वीन बस्टर्ड।

✦ ✦ ✦ ✦